रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART 1—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 22, 1975/ज्येष्ठ 1, 1897

No. 95] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 1975/JYAISTHA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd May 1975

SUBJECT.—*Terms and conditions governing the issuance of import licences financed under International Development Association Credit No. 528-IN (Industrial Imports).*

No. 37-ITC(PN)/75.—The terms and conditions governing the issuance of import licences financed under the IDA Credit No. 528-IN, dated the 14th February, 1975 as amended on 7th March, 1975 (Tenth Industrial Imports Project) as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE ISSUANCE OF IMPORT LICENCES FINANCED UNDER INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION CREDIT NO. 588-IN (TENTH INDUSTRIAL IMPORTS PROJECT)

I. The import licence is issued with a initial validity period of Twelve months.

II. The goods imported must fall under the approved list of goods as per Annexure I.

III. The goods must be purchased from member countries of the World Bank or Switzerland (a list of member countries is attached at Annexure II) but excluding South

Africa and South West Africa. Shipments must be arranged in vessels registered in countries, who are members of World Bank or in Indian Flag Vessels (with Ocean freight payable in Rupees in India on India Flag Shipments) or in the vessels of the Members Lines of India-Pakistan Conference (list of Member Lines is attached at Annexure VII) regardless of whether the Member Line is or is not from a country which is a member of the Bank. It is most essential that the goods must be produced in a member country, and not merely transhipped through a member country.

IV. *Ordering.*—(a) Firm orders must be placed on the suppliers *within four months from the date of issue of the import licence.* If orders cannot be placed within four months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authorities during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering is necessary. *Such requests will be considered on merits by the CCI&E in consultation with* the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary.

(b) A statement of orders in the form attached, *vide Annexure III, should be sent* on the first of each month to (i) the Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, UCO Bank Building, No. 10, Parliament Street, New Delhi (Attention Shri S. Subramanian, Senior Accounts Officer), (ii) Additional Economic Adviser, Ministry of Industrial Development (Attention Shri N. K. Das) and *(iii) to the concerned Industrial Adviser, in the Directorate General of Technical* Development, New Delhi. Such reports should include particulars of all eligible licences and imports.

IMPORTANT NOTE.—It is necessary that ordering is completed within 4 months or the extended period allowed by the licensing authority in any case. *The authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or remittance for payment to foreign suppliers unless this requirement is complied with.*

V. *Payment against I/L by remittance through Banks.*—(1) Payment of the cost of goods acquired should be made, according to procedure described in sub-para (6) below. Contracts concluded with foreign suppliers, should specify the mode of payment and also the documents required *vide* para VI below.

(2) Payment for the cost of goods and services acquired shall be made in the currency of country *of origin of goods and services.* To cite an example, if the goods are produced or originated in country A but are shipped from a different country B or the supplier is located in country B or another country C, the payment has to be made in the currency of country A and not repeat not that of country B or country C.

(3) Payment of Ocean freight charges on India Flag Vessels shipments should be made in Rupees in India.

(4) Payment of India Agent's commission should be made in Indian Rupees to the agents in India. *Such payments will, however, form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.*

(5) Expenditure incurred in Indian currency for goods procured in (including services supplied from) India and also from countries who are not members of World Bank (*vide* Annexure II) is not reimbursable under the I.D.A. Credit arrangement. Ocean freight charges on vessel belonging to non-member countries of World Bank is also ineligible for financing under I.D.A. Credit arrangement unless the vessel belongs to a Member Line of India-Pakistan Conference in which case the Ocean freight is re-imbursable by I.D.A. Hence importers should ensure that shipment is arranged only in vessels belonging to member countries of the World Bank, or in the vessels of Member Lines of India-Pakistan Conference. Foreign exchange dealers should also ensure that payment in foreign exchange is not made towards Ocean freight for shipment made in the vessels of non-member countries of World Bank except when the same belongs to Member Lines of India-Pakistan Conference.

(6) *Detailed procedure for payment.*—Payments against the import licence, may be made by the importers through authorised dealers in foreign exchange in India by remittance in the normal manner. The importers shall indicate in their contracts with suppliers that certain documents required by the I.D.A. have to be submitted by the suppliers to the importers. These documents are described in para (VI) below and in Annexure V and should be sent alongwith a proforma as indicated in Annexure IV. Two sets of documents are required, one for payment purposes and the other for purposes of obtaining reimbursement from I.D.A. The authorised dealers in foreign exchange while opening letter of credit against such import licence would also call for the documents from the supplier. When bills drawn under the letters of credit are paid

by the drawee and the amount remitted to the principal suppliers abroad, these documents should be separated and pinned together and forwarded by the dealers in foreign exchange direct to the Ministry of Finance, D.E.A., Economic Aid Accounts Branch, U.C.O Bank Building, Parliament Street, New Delhi (Attention S. Subramanian, Senior Accounts Officer) with the particulars of relative import licence duly noted on each of these documents. In cases where bills are received by the authorised dealers in foreign exchange on collection basis to cover imports, the proceeds of the bill would not be remitted unless the drawees (importers) furnish to the authorised dealers in foreign exchange these documents for forwarding to the Ministry of Finance. While opening the letters of credits through the Indian Banks, these conditions should be stipulated in the letters of credits by the Bank.

(7) All payments must be completed *within one month* after expiry of licence. *Individual payments must be arranged upon shipment of goods*, except in case of credit facilities, which will be permitted subject to the following conditions:—

(a) The credit facility should *not* extend beyond 90 days from the date of shipments;

(b) No interest charges are payable by the importers for the credit extended, directly or indirectly; and

(c) All payments are completed within one month after expiry of licence.

The above credit facility is not automatic. Permission of Ministry of Finance is necessary for the same.

VI. *Documentation.*—After payments, the importers must arrange to furnish immediately the various prescribed documents (Annexure V in complete shape) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, U.C.O. Bank Building, Parliament Street, New Delhi to enable them to claim reimbursement from I.D.A. As payments will usually be made through the importers Bank in India, arrangement should be made by the importers with their Bankers to send the documents direct to the Ministry of Finance daily after each foreign exchange remittance with the proforma, indicated in Annexure IV. The proforma with documents should in no case be delayed for more than a week. This will expedite the utilisation of I.D.A. Credit by the Government of India. This arrangement will, however, not absolve the importers from the responsibility of submission of proper documents and the importers should obtain confirmation from their bankers that they have submitted the documents to the Ministry of Finance towards foreign exchange remittances made by them and indicate that facts in the monthly reports of ordering and payments (*vide* Annexure III). The Ministry of Finance will approach the importers for relevant documents if and when necessary.

NOTE.—It should be noted very carefully that the documents for re-imbursement are to be forwarded by the Indian Banks *immediately* after payments, and under no circumstances, should any delay occur in transmitting these documents. The I.D.A. regulations require that applications for withdrawal should be made promptly. Therefore, I.D.A. can decline re-imbursements if claims for amounts are delayed. Hence it is very essential that the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch), invariably received the documents within a week after each foreign exchange payment.

VII. *Maintenance of Books and Records.*—The importers shall maintain books and records adequate to identify the goods acquired out of the proceeds of the credit to disclose the use thereof in the project and to record the progress of the project. Such records and books shall be maintained for a period of five years after the date of acquisition of the goods. Importer shall enable the authorised representatives of I.D.A. to inspect the relevant records and documents related to the Project, the goods acquired out of the proceeds of the credit and shall afford all reasonable opportunity and assistance to them for such examination where they propose to carry out such inspections.

VIII. *End-Use of Goods.*—All goods imported against the licence will be used exclusively for the purpose of production for the domestic civilian market and for export.

IX. *Quarterly Reports on estimated payment.*—I.D.A. requires quarterly reports indicating the rate at which withdrawals are expected to be made throughout the disbursement period of the credit. A statement in form in Annexure VI should, therefore, be sent by importers to the Senior Accounts Officer (Shri S. Subramanian), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, First Floor, United Commercial Bank Building, Parliament Street, New Delhi at the end of each quarter *i.e.*, quarter ending June, 1975, September, 1975, December, 1975 and March, 1976, by the 10th of the month following the reporting period. In this report all import licences *i.e.* licences having balance outstanding on the 14th February, 1975 and fresh licences issued on or after the 14th February, 1975 issued under I.D.A. Credit should be included.

X. *Notifying-supplier.*—The importer should apprise the supplier of any special provision in the import licences which affect the suppliers in carrying out the transactions.

XI. *Disputes.*—It should be understood that Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the importers and suppliers.

XII. *Future Instructions.*—The importers shall promptly comply with any directions, instructions, or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licences and for meeting all obligations under the agreement.

XIII. *Breach or Violation.*—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports & Exports (Control) Act.

XIV. *List of Annexures by Title*:

Annexure	I	List of Goods.
Annexure	II	List of World Bank Member countries.
Annexure	III	Monthly report on ordering and payments.
Annexure	IV	Proforma for sending documents.
Annexure	V	Documents required after payment.
Annexure	VI	Quarterly statement of estimated payments.
Annexure	VII	List of Member Lines of India-Pakistan Conference.

ANNEXURE I

List of Goods

Raw and Semi-finished materials, components and spare parts and Miscellaneous items of manufacturing and construction equipment

(a) *Agricultural*

1. Tractors and Power Tillers.
2. Fertilisers.
3. Pesticides.

(b) *Electrical*

4. Motors, Transformers, Switchgears and Magnetic Steel Stampings, Cables and Wires (upto 66 K.V.).
5. Power Generating Equipment and Spare Parts and Boilers.
6. Aluminium Smelting.

(c) *Transport*

7. Commercial Vehicles.
8. Automotive Ancillaries.

(d) *Metal Working*

9. Machine Cutting and Small Tools, Abrasives, Ball and Roller Bearings.
10. Castings and Forgings.

(e) *Constructions*

11. Heavy Construction Equipment and spare parts.

ANNEXURE II

Members of the I.B.R.D. and I.D.A.

(As of June 30, 1972)

S. No.	Name of the Country	S. No.	Name of the Country
1.	Afghanistan.	6.	Belgium.
2.	Algeria.	7.	Bolivia.
3.	Argentina.	8.	Botsawana.
4.	Australia.	9.	Brazil.
5.	Austria.	10.	Burma.
5A.	Bahrain.	11.	Burundi.
5B.	Bangladesh.	12.	Cameroon.

S. No.	Name of the Country	S. No.	Name of the Country
13.	Canada.	69.	Mali.
14.	Central African Republic.	70.	Mauritania.
15.	*Deleted.*	71.	Mauritius.
16.	Chad.	72.	Mexico.
17.	Chile.	73.	Morocco.
18.	China, Republic of.	74.	Nepal.
19.	Colombia.	75.	Netherlands.
20.	Congo, People's Rep.	76.	New Zealand.
21.	Costa Rica.	77.	Nicaragua.
22.	Cyprus.	78.	Niger.
23.	Dahomey.	79.	Nigeria.
24.	Denmark.	80.	Norway.
25.	Dominican Dep.	81.	*Oman.
26.	Fouador.	82.	Pakistan.
27.	Egypt, Arab Rep. of.	83.	Panama.
28.	El Salvador.	84.	Paraguay.
29.	Equatorial Guinea.	85.	Peru.
30.	Ethiopia.	86.	Philippines.
31.	*Fiji.	87.	*Portugal.
32.	Finland.	87A.	Qatar.
33.	France.	87B.	Romania.
34.	Gabon.	88.	Rwanda.
35.	Gambia, The.	89.	South Arabia.
36.	Germany.	90.	Senegal.
37.	Ghana.	91.	Sierra Leone.
38.	Greece.	92.	*Singapore.
39.	Guatemala.	93.	Somalia.
40.	Guinea.	94.	South Africa.
41.	Guyana.	95.	Spain.
42.	Haiti.	95A.	Sri Lanka.
43.	Honduras.	96.	Sudan.
44.	Iceland.	97.	Swaziland.
45.	India.	98.	Sweden.
46.	Indonesia.	99.	Syrian Arab Republic.
47.	Iran.	100.	Tanzania.
48.	Iraq.	101.	Thailand.
49.	Ireland.	102.	Togo.
50.	Israel.	103.	*Trinidad and Tobago.
51.	Italy.	104.	Tunisia.
52.	Ivory Coast.	105.	Turkey.
53.	*Jamaica.	106.	Uganda.
54.	Japan.	106A.	United Arabs Emirates.
55.	Jordan.	107.	U.K.
56.	Kenya.	108.	U.S.A.
57.	Khmer Republic.	109.	Upper Volta.
58.	Korea, Republic of.	110.	*Uruguay.
59.	Kuwait.	111.	*Venazuela.
60.	Laos.	112.	Vietnam.
61.	Lebanon.	112A.	Western Samoa.
62.	Lesothe.	113.	Yemen Arab Rep.
63.	Liberia.	114.	Yemen, Peoples Dem. Rep.
64.	Libyan Arab Republic.	115.	Yugoslavia.
65.	Luxembourg.	116.	Zaire.
66.	Malagasy Republic.	117.	Zambia.
67.	Malawi.		
68.	Malaysia.		

*Not members of the I.D.A.

ANNEXURE III

Proforma Report—One for each import licence under I.D.A. Credit

Report as on 1st of each month

1. Import licence No., date and value

2. Ordering Position:

(a) Total value of orders placed so far (in Rs.)

(b) Balance value of orders yet to be placed (in Rs.)

(c) Phasing of balance orders :—Indicate when these would be completed and confirm that these would be completed within four months from the date of Import licence.

3. Payment position :—

(a) Total value of payments made so far :—	Amount	
	Foreign Currency.	in Rs.
(i) Payments made prior to 14th February, 1975.		
(ii) Payments made on or after 14th February, 1975.		
14th February, 1975 to 30th April, 1975.		
May, 1975.		
June, 1975.		
July, 1975.		
August, 1975.		
September, 1975.		
October, 1975.		
November, 1975, etc.		

(Please confirm after checking with Bank that documents therefor have been submitted to this Department by them in all cases).

(b) Balance value of payments yet to be made (in Rs.)

(c) Phasing of balance payments :—

(i) During May, 1975.

(ii) During June, 1975.

(iii) During July, 1975.

(iv) During August, 1975.

(v) During September, 1975.

(vi) During October, 1975.

(vii) During November, 1975.

(viii) During December, 1975.

(ix) During January, 1976 to March, 1976.

(Please confirm that payments will be completed by 31st May, 1976).

4. Remarks, if any, particularly regarding any special difficulty experienced in complete utilisation of licence *i.e.*, payments by 31st May, 1976.

(Sd.) Authorised Representative
on behalf of importer.

ANNEXURE IV

[Referred to in Paras V, V(6) and VI]

Proforma for Sending Documents under the I.D.A. Credit
(Tenth Industrial Imports Project)

Sl. No.	Applicable category of goods	Import licence No. and date	Date of foreign exchange remittance by the Bank	Currency in which payment is made and the amount in foreign currency.
1	2	3	4	5

ANNEXURE V

(Referred to in Paras V and VI)

Documents required in connection with each application for reimbursement, under I.D.A. Credit

(a) Supplier's invoice, describing the goods or services (Original or legible copy).

(b) Evidence of payment, in the form of—

(1) Receipted invoice or formal receipt of the foreign supplier; or

(2) Cancelled bank cheque or draft or photostatic copy thereof; or

(3) Commercial Bank's report of Payment I.D.A. Form 1-1 (copy attached) may be used when payment has been made under a commercial letter of credit; or

(4) Other evidence satisfactory to the I.D.A.

(c) Evidence of shipment, in the form of :

(1) A copy of ocean or airway bill of lading (this need not be a signed copy); or

(2) A statement of the supplier or forwarder that the goods have been shipped. This statement should include the approximate date of shipment, the method of transportation (*i.e.* air, rail or sea) and the destination of the ship/aircraft, the name and flag of the vessel or aircraft (if known) and amount of ocean/air freight should be given.

NOTE 1.—If shipment has not been made at the time of the application is submitted or if the application relates to a down or progress payment on a contract, evidence of shipment should be furnished to the I.D.A. as soon as possible after shipment. This evidence of shipment should be accompanied by a copy of the suppliers' final invoice in cases where the application relates to a down or progress payment.

NOTE 2.—When commercial letters of credit are used, no evidence of shipment is required if the Bank's report of payment indicates that documents evidencing shipment were produced to the commercial bank at the time payment was made; otherwise evidence of shipment as described in (c)(1) or (2) above would be required.

NOTE 3.—Please note carefully that items (1) to (3) under (b) and (1) to (2) under (c) above are the various alternatives and what is needed is any one of these and not at all.

(d) If the withdrawal, is to reimburse the Borrower for a down or progress payment, a copy of the contract or purchase order is required. It is of course only necessary to submit this document once. If payment has been made on a contract on the basis of work performed, in addition to a copy of the contract, the Borrower should furnish an engineer's certificate or progress report showing that the payment was due.

(e) Information regarding applicable category of the list of goods as approved by the I.D.A, *vide* Annexure I.

NOTE 4.—Requirement at (e) above means that the importer himself or his bank should, while forwarding the documents to the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), indicate the applicable category of the approved list of goods under which the import has been made. This list of goods is indicated in Annexure I and the licence itself would indicate the applicable category in each case. If not, the description of the goods imported would enable the item being classified under one of the approved category of goods. In any case, it is for the importer to furnish this information and he or his bank must not require the supplier to indicate such information in his documents to be submitted to the negotiating bank under the Letter of Credit. The importers should, therefore, note carefully that no such requirement should be included in their orders or the Letters of Credit.

IDA FORM—I—I.

Bank's Report of Payment Serial No. ——————

(Name of Commercial Bank)

Date of payment :——————

Licence No. ——————

To ——————

(Name of the Borrow er or Borrower's Representative)

——————

(Address)

We report having paid the sum of——————

to —————— under licence No. ——————

(Name of supplier)

established by ——————

(Name and address of buyer)

Our payment commission amounts to ——————

Payment was effected against delivery of the documents as specified in/and in accordance with the terms and condidtions of the letter of Credit mentioned above evidenceing shipment of

——————

(General description of the merchandise including the Quantity etc.)

per S.S. —————— or R.R.——————

from —————— to ——————

(Point of shipment Destination)

or storage or manufacture of the goods described at——————

The documents have been disposed of as follows :—

Ocean documents have been forwarded to our above mentioned correspondent Bank.

The rail-road bill of lading, warehouse receipt of certificate of manufacture have been

——————

(Description made)

——————

(Copy of Supplier's invoice is attached)

Very truly yours,

ANNEXURE VI

(Referred to in Para VI of licensing conditions)

Dated——————

International Development Association Quarterly Report of Estimated Payments (Expressed in thousands of U.S. $) at the rate of exchange 1 $ = Rs. 7.279.

Sl. No.	Category of goods	Import licence No. & Dete	Total value of I/L	Value of I/L out-standing on 14-2-1975	Currency of payment	Supplying country
1	2	3	4	5	6	7

Calendar Quarters Ending

June 1975	September 1975	December 1975	March 1976	Beyond March 1976 and before 30th June, 1976
8	9	10	11	12

NOTES:

1. The value of utilisation upto end of the quarter to which the report relates should be actuals and for the balance estimated payments to be furnished.
2. Figures in Columns 8 to 13 should indicate only the foreign currency payable to the foreign supplier (excluding agency commission etc. payable in Indian Rupees).

ANNEXURE VII

The particulars of the member lines, with their nationality of the India-Pakistan Conference (in U.K.-India/Pakistan East Bound Conference and Continent/India-Pakistan East Bound Conference).

I. *U.K./India-Pakistan East Bound Conference*

1. Anchor Line Ltd. 2. British India Steam Navigation Co. Ltd. 3. Bibby Line Ltd. 4. Thomos & Jno. Brocklebank (owners of the Anchor) Calcutta Service). 5. Brocklebank & Brocklebank's Well Lines. 6. The City Line Ltd. 7. The Clan Line Steamers Ltd. 8. Penisular and Oriental Steam Navigation Co. Ltd. 9. Hall Line Ltd. 10. Ellerman's Wilson Line Ltd.	U.K.
11. India Steamship Co. Ltd. 12. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 13. The Shipping Corporation of India Ltd.	India
14. National Shipping Corporation of Karachi. 15. Pakistan Shipping Line Ltd.	Pakistan
16. Bangladesh Shipping Corporation.	Bangladesh

II. *Continent/India-Pakistan East Bound Conference*

1. British India Steam Navigation Co. Ltd. 2. Brooklebank's Well Line. 3. The Clan Line Steamers Ltd.	U.K.
4. Compagnie Maritime Belge (Lloyd Royal) S.A.	Belgium
5. A/S Det Ostasiatiske Kompagni (East Asiatic Co. Ltd.)	Sweden
6. Duetsche Dampfschiffahts-Gesellschaft "HANSA".	of Germany)
7. Hall Line.	U.K.
8. Koninklijke Nedlloyd N.V.	Denmark
9. Cie des Messageries Maritimes.	France
10. India Steamship Co. Ltd. 11. Scindia Steam Navigation Co. Ltd. 12. The Shipping Corporation of India Ltd.	India
13. National Shipping Corporation of Karachi. 14. Pakistan Shipping Line Ltd.	Pakistan
15. Peninsular and Oriental Steam Navigation Co. Ltd.	U.K.
16 A/B Svenska Ostasiatiska Kempaniet. (Swedish East Asia Co. Ltd.)	Sweden
17. Wilh Wilhelmsen.	Norway
18. VEB Deutsche Seereederei.	East Germany
19. Bengladesh Shipping Corporation.	Bangladesh

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 मई, 1975

विषय.—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण 528 आई एन (औद्योगिक आयात) के अन्तर्गत अर्थ-युक्त किए गए आयात लाइससों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें।

सं० 37-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75.—इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई 7–3–75 को यथा संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या 528 आई एन, दिनांक 14 फरवरी, 1975 (दसवें औद्योगिक आयात परियोजना) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाइसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें व्यापारियों की जानकारी के लिए अधि-सूचित की जाती है।

परिशिष्ट

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण संख्या 528—आईएन (दसवें औद्योगिक आयात परियोजना) के अन्तर्गत अर्थयुक्त किए गए आयात लाईसेंसों के निर्गमन को नियंत्रित करने वाली शर्तें।

1. आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारम्भिक वैधता अवधि के साथ जारी किया जाता है।

2. आयात किए गए माल का अनुबन्ध–1 के अनुसार माल की अनुमोदित सूची में शामिल होना जरूरी है।

3. माल विश्व के सदस्य देशों से या स्विटजरलैण्ड (वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों को सूची अनु-बन्ध–2 के रूप में संलग्न है) से परन्तु दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को छोड़-कर खरीदा जाना चाहिए। माल लदान की व्यवस्था विश्व बैंक के सदस्य देशों के पंजीकृत जलयानों में या भारतीय ध्वज जलयानों (भारत ध्वज पोतलदानों पर महासागर परिवहन भाड़ा भारत में रुपये में देय के साथ) या भारत-पाकिस्तान सम्मेलन सदस्य लाइन्स के जलयानों में (सदस्य लाइन की सूची अनुबन्ध-7 के रूप में संलग्न है) और यह इस बात को ध्यान में दिए बिना होगी कि जो बैंक का सदस्य है वह सदस्य लाइन्स उस देश से है या नहीं है, में होनी चाहिए। माल का एक सदस्य देश के माध्यम में केवल वाहनान्तरित करना ही नहीं है, बल्कि उसका सदस्य देश में उत्पादन किया जाना बहुत अनिवार्य है।

4. **आदेश देना.**—(क) संभरक को निश्चित आदेश आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए। यदि वैध कारणों से चार महीनों के भीतर आदेश नहीं दिए जा सकते तो पांचवें महीने के दौरान आदेश देने में देरी होने के कारणों को बताते हुए और जिस तिथि को आदेश दिए जाएंगे उसको निर्दिष्ट करते हुए और आदेश देने के लिए अन्त में जितनी वृद्धि आवश्यक हो उसको निर्दिष्ट करते हुए लाइसेंस, लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा गुणावगुण के आधार पर जहां कहीं आवश्यक होगा, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) से परामर्श करके विचार किया जाएगा।

(ख) आदेशों का एक विवरण-पत्र संलग्न अनुबन्ध–3 के प्रपत्र में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को (1) आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, 10 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (ध्यान दे श्री एस सुब्रमणियम वरिष्ठ लेखा अधिकारी)

को (2) उप-वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय (ध्यान दे श्री एन० के० दास) और (3) तकनीकी विकास महानिदेशालय, नई दिल्ली में सम्बद्ध औद्योगिक सलाहकार को भेजना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट में सब बैंध लाइसेंसों और आयातों के ब्यौरे शामिल होने चाहिए।

महत्वपूर्ण टिप्पणी.—यह आवश्यक है कि प्रत्येक मामले में 4 महीनों के भीतर या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई गई अवधि के भीतर आदेश देने का काम पूर्ण हो जाए। **विदेशी मुद्रा विनिमय के प्राधिकृत व्यापारी साखपत्र स्थापित करने या विदेशी संभरकों को भुगतान करने के लिये धन प्रेषण की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जाएगा।**

5. **बैंकों के माध्यम से धन प्रेषण द्वारा आयात लाइसेंसों के लिए भुगतान.**—(1) प्राप्त किए गए माल की लागत का भुगतान निम्नलिखित उप-कंडिका (6) में वर्णित क्रियविधि के अनुसार करना चाहिए। विदेशी संभरकों के साथ निश्चित की गई संविदाओं में भुगतान का तरीका और अपेक्षित दस्तावेज भी विशेष रूप से उल्लिखित होने चाहिए। कृपया नीचे कंडिका 6 देखिए।

(2) प्राप्त किए गए माल और सेवाओं की लागत के लिए भुगतान जिस देश से माल या सेवाएं प्राप्त की गई हैं उसकी मुद्रा में अर्थात् **या सेवाओं माल उद्गम** देश की मुद्रा में किया जाएगा उदाहरण के लिए यदि माल (क) देश में उत्पन्न या उद्भुत किया गया है परन्तु वह एक भिन्न देश (ख) से लादा गया है या संभरक एक भिन्न देश 'ख' में या दूसरे देश 'ग' में स्थिति है तो भुगतान 'ख' या 'ग' देश की मुद्रा में नहीं बल्कि 'क' देश की मुद्रा में किया जाना है।

(3) भारतीय ध्वज जलयानों पर लदानों के महासागर परिवहन भाड़े का भुगतान रुपये में भारत में किया जाना चाहिए।

(4) भारतीय एजेंट के कमीशन का भुगतान एजेंट को भारत में भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। **लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस के मूल्य के अंश होंगे और इसलिए लाइसेंस पर वसूल किए जाएंगे।**

(5) भारत में अधिप्राप्त किए गए माल (भारत से प्राप्त सेवाओं सहित) के लिए भारतीय मुद्रा में किया गया खर्चा और विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों (देखिए अनुबन्ध-2) से अधिप्राप्त माल के लिए किया गया खर्चा आई० डी०ए० क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत तब तक प्रतिपूर्ति के योग्य नहीं है जब तक कि जलयान भारत पाकिस्तान सम्मेलन के सदस्य लाइंसेंस से सम्बन्धित न हो जिससे समुद्री भाड़ा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा प्रतिपूर्ति के योग्य होता है। विश्व बैंक के गैर सदस्य देशों से सम्बन्ध रखने वाले जलयानों का महासागर परिवहन भाड़े का खर्चा भी आई० डी० ए० क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत अर्थपुक्त करने के लिए अपात्र है। इसलिए, आयातकों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पोतलदान की व्यवस्था केवल विश्व बैंक के सदस्यों देशों के जलयानों में या भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के सदस्य लाइन्स के जलयानों में की गई है। विदेशी मुद्रा के व्यापारियों को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि **महासागर परिवहन भाड़े के लिए विदेशी** मुद्रा में किया गया भुगतान विश्व बैंक के गैर-सदस्य देशों के जलयानों में किए गए लदान **के लिए नहीं किया गया है**। केवल ऐसे मामले को छोड़ कर जब कि वही भारत पाकिस्तान सम्मेलन के सदस्य लाइन्स से सम्बन्ध रखता है।

(6) भुगतान के लिए विस्तृत क्रियाविधि.—आयातकों द्वारा आयात लाइसेंसों के लिए भुगतान भारत में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से सामान्य तरीके से धन प्रेषण

द्वारा किया जा सकता है । संभरकों के साथ की गई अपनी संविदाओं में आयातक यह निर्दिष्ट करेंगे कि आई० डी० ए० द्वारा अपेक्षित कुछ दस्तावेज संभरकों द्वारा आयातकों को प्रस्तुत करने हैं। इन दस्तावेजों का उल्लेख नीचे **पैरा (6) में और अनुबन्ध 5 में दिया गया है** और ये अनुबन्ध 4 में निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र के साथ भेजे जाने चाहिए। दस्तावेजों के दो सैट अपेक्षित हैं, एक भुगतान के लिए और दूसरा आई० डी० ए० से धन प्राप्त करने के लिए। **विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी ऐसे आयात लाइसेंस के मद्दे साखपत्र खोलते समय संभरक से दस्तावेज भी मांगेंगे** । यदि साख पत्र के अधीन लिखें गए बिल आदेशिती द्वारा चुकाए जाते हैं और धनराशि विदेश में मुख्य संभरक को परिषित की जाती है तो ये दस्तावेज अलग कर दिए जाएंगे और पिन लगा कर एक साथ करके और इनके प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित आयात लाइसेंस का ब्योरा लिख कर विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, अर्थकार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली (एस० सुब्रामुणियम, वरिष्ठ लेखाअधिकारी) को अग्रसारित किए जाएंगे। **जिन मामलों में विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा आयातक के लिए अर्थ संग्रह के आधार पर बिल प्राप्त किए जाएंगे** उनमें बिल की रकम तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक आदेशिती (आयातक) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी को ये दस्तावेज वित्त मंत्रालय को अग्रसारित करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर देते। भारतीय बैंकों के माध्यम से साखपत्र खोलते समय ये शर्तें बैंकों द्वारा साख पत्रों अनुबंधित करनी चाहिए।

(7) सभी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर पूर्ण हो जाने चाहिए। ऋण सुविधाएं जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी उनको छोड़ कर **व्यक्तिगत भुगतानों की व्यवस्था माल लदान पर ही होनी चाहिए**:—

(क) ऋण सुविधा की अवधि लदान की तिथि से 90 दिनों से अधिक नहीं बढ़ानी चाहिए,

(ख) बढ़ाए गए ऋण के लिए आयातकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ब्याज प्रभार देय नहीं है; और

(ग) सभी भुगतान लाइसेंस की समाप्ति के बाद एक महीने के भीतर पूर्ण कर लिए जाते हैं। उक्त क्रेडिट सुविधा स्वतः नहीं है। इसके लिए मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक है।

6. दस्तावेजीकर.—भुगतान के बाद, आयातकों को विभिन्न निर्धारित दस्तावेज (पूर्ण रूप में अनुबन्ध–5) वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखाशाखा यू० सी० ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को तुरन्त प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वित्त मंत्रालय आई० डी० ए० से धन वापसी का दावा कर सके। जैसा कि भुगतान साधारणतया भारत में आयातक के बैंक के माध्याम से किए जाएंगे, इसलिए प्रत्येक विदेशी मुद्रा के परेषण के बाद प्रतिदिन अनुबन्ध–4 में निर्दिष्ट किए गए प्रपत्र के साथ दस्तावेज सीधे वित्त मंत्रालय को भेजने के लिए आयातकों को अपने बैंकरों के साथ व्यवस्था करनी चाहिए। दस्तावेजों के साथ प्रपत्र किसी भी हालत में एक सप्ताह से अधिक बिलम्बित नहीं होने चाहिए। इससे भारित सरकार द्वारा आई० डी० ए० के उपयोग किए गए ऋणों को शीघ्र निपटाया जा सकेगा। लेकिन, इस व्यवस्था से आयातक उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे और उन्हें अपने बैंकरों से इस बात का पुष्टिकरण प्राप्त कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके द्वारा विदेशी मुद्रा के धन परेषणों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और इस तथ्य को आवेश देने की तथा भुगतानों की मासिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट करना चाहिए (देखिए अनुबन्ध-3)

यदि किसी समय आवश्यक होगा तो वित्त मंत्रालय आयातकों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए सम्पर्क स्थापित करेगा ।

टिप्पणी.—यह बहुत ध्यानपूर्वक नोट कर लेना चाहिए कि धनवापसी के लिए दस्तावेज बैंकों द्वारा भुगतान करने के तुरन्त बाद अग्रसारित किए जाने हैं और इन दस्तावेजों को संचारित करने में किसी भी स्थिति में देर नहीं होनी चाहिए । आई० डी० ए० के विनियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि धन निकासी के लिए तुरन्त आवेदन पत्र दिए जाने चाहिए। इसलिए यदि धनराशि के लिए दावे करने में यदि देर की जाएगी तो आई० डी० ए० पुनः धन वापसियों को अस्वीकार कर सकती है । अतः यह बहुत आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा प्रत्येक विदेशी मुद्रा भुगतान के बाद एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से दस्तावेज प्राप्त करले ।

7. **बही खाता तथा रिकार्ड रखना** .—आयातक क्रेडिट के आगम में से प्राप्त किए गए माल की पहचान के लिए परियोजना में उसके उपयोग को जाहिर करने के लिए और परियोजना की प्रगति को अंकित करने के लिए पर्याप्त बही-खाता और रिकार्ड रखेंगे। इस प्रकार के रिकार्ड तथा बही-खाते माल के अधिग्रहण की तारीख के बाद पांच वर्षों की अवधि तक रखे जाएंगे । आयातक आई० डी० ए० के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सम्बन्धित रेकार्डों, परियोजना के सम्बन्ध प्रलेखों, क्रेडिट के आगम से प्राप्त किए गए माल की जांच करने के लिए समर्थ बनाएंगे तथा जहां वे इस प्रकार की जांच करना चाहें तो इस प्रकार के परीक्षण के लिए उन्हें सभी यथोचित सुअवसर तथा सहयोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे ।

8. **माल का अंतिम उपयोग**.—लाइसेंस के मुद्दे आयातित सभी माल का उपयोग पूर्ण रूपेण स्वदेशी नागरिक बाजार के लिए यथा निर्यात के लिए उत्पादन के कार्य में किया जाएगा ।

9. **अनुमानित भुगतान के सम्बन्ध में त्रैमासिक रिपोर्ट**.—जिस दर पर निकासियां क्रेडिट की समस्त अदायगी अवधि में की जाने की संभावना है उस दर का संकेत करते हुए त्रैमासिक रिपोर्ट आई०डी०ए० को देनी जरूरी होती है। इसलिए अनुबन्ध–6 में दिए गए प्रपत्र में एक विवरण आयातक द्वारा आने वाली रिपोर्ट की अवधि के मासकी दस तारीख तक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि के अन्त में अर्थात् जून, 1975 सितम्बर, 1975, दिसम्बर, 1975 एवं मार्च, 1976 को अन्त होने वाली त्रैमासिक अवधि में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (श्री एस० सुब्रामणियम) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग यूनाइटेड कोमर्शियल बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में सभी आयात लाइसेंसों अर्थात् जिन लाइसेंसों का 14 फरवरी, 1975 को संतुलन बाकी रह गया था तथा आई० डी० ए० क्रेडिट के अन्तर्गत 14 फरवरी, 1975 को या उसके बाद जो नए लाइसेंस जारी किए गए उन सभी को शामिल किया जाना चाहिए ।

10. **संभरक को अधिसूचित करना** .—आयातक को चाहिए कि आयात लाइसेंस की किसी विशेष व्यवस्था से संभरक को अवगत कराए जो संभरक को माल को भेजने में प्रभावित करते हैं ।

11. **विवाद**.—यह समझ लिया जाना चाहिए कि आयातकों और संभरकों के बीच यदि किसी प्रकार के विवाद उठ खड़े होते हैं तो भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी ।

12. **भविष्य अनुदेश.**—आयात लाइसेंसों या इससे सम्बन्धित किसी मामले के सम्बन्ध में करार के अन्तर्गत सभी दायित्वों से निपटने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई निर्देश, अनुदेश या आदेश जारी किए जाते हैं तो आयातकों को इसका अनुपालन तुरन्त करना होगा ।

13. **उल्लंघन या अतिक्रमण** .—उपर्युक्त धाराओं में निर्धारित शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्रवाई की जाएगी ।

14. **शीर्षक द्वारा अनुबन्धों की सूची :**

अनुबन्ध—1 माल की सूची ।

अनुबन्ध—2 विश्व बैंक के सदस्य देशों की सूची ।

अनुबन्ध—3 आदेश देने तथा भुगतान करने से सम्बन्धित मासिक रिपोर्ट ।

अनुबन्ध—4 प्रलेखों को भेजने के लिए प्रपत्र ।

अनुबन्ध—5 भुगतान के बाद मांगे जाने वाले प्रलेख ।

अनुबन्ध—6 अनुमानित भुगतानों का त्रैमासिक विवरण ।

अनुबन्ध—7 भारत-पाकिस्तान सम्मेलन के सदस्य लाइन्स की सूची ।

अनुबन्ध 1

माल की सूची

कच्चा माल अर्ध-निर्मित माल संघटक तथा फालतू पुर्जे एवं विनिर्माण एवं संरचना उपकरण की विविध मदें ।

(क) **कृषि सम्बन्धी**

(1) टेक्टर्स तथा पावर टिलर्स

(2) उर्वरक

(3) कीटनाशक

(ख) **विद्युतीय**

(4) मोटर, ट्रान्सफार्मर्स, स्वीच-गेयर्स तथा मैगनैटिक स्टील स्टेम्पिंग्स, केबल्स एवं तारे (66 के० वी० तक) ।

(5) विद्युत् शक्ति प्रजनन उपकरण एवं फालतू पुर्जे एवं वाष्पित्र ।

(6) एल्युमीनियम स्पेल्टिंग

(ग) **परिवहन सम्बन्धी**

(7) वाणिज्यिक वाहन

(8) स्वचालित सहायक पुर्जे

(घ) **धातु के काम किए हुए**

(9) मशीन, कटिंग तथा छोटे छोटे औजार, एब्रेसिव्स, बाल तथा रोलर बेयरिंग्स ।

(10) कास्टिंग एवं फोर्जिंग ।

(ङ) निर्माण सम्बन्धी

(11) भारी निर्माण सम्बन्धी उपकरण एवं फालतू पुर्जे।

अनुबन्ध 2

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्भाण विकास / अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य
(30 जून, 1972 के अनुसार)

क्रम सं०	देश का नाम	क्रम सं०	देश का नाम
1	अफगानिस्तान	22	दाहोमे
2	अल्जीरिया	23	डेनमार्क
3	अर्जन्तीना	24	डोमीनिकन गणराज्य
4	आस्ट्रेलिया	25	इक्वाडोर
5	आस्ट्रिया	26	ईजिप्ट, अरब गणराज्य
5क	बेहराम	27	एल सल्वाडोर
5ख	बांगलादेश	28	विषुवतीय गिनी
6	बेल्जियम	29	इथोपिया
7	बोलिविया	30	फिजी
8	बोत्स्वाना	31	फिनलैण्ड
9	ब्राजील	32	फ्रांस
10	बर्मा	33	गैबोन
11	बुरुन्दी	34	जाम्बिया, दि
12	कैमरून	35	जर्मनी
13	कनाडा	36	घाना
14	मध्य अफ्रीकी गणराज्य	37	यूनान
15	चाद	38	ग्वेतमाला
16	चिली	39	गिनी
17	चीन गणराज्य	40	गुयाना
18	कोलम्बिया	41	हेती
19	कांगों—जनवादी गणराज्य	42	होण्डुरस
20	कोस्टारिका	43	आइसलैण्ड
21	साइप्रस	44	भारत

क्रम सं०	देश का नाम	क्रम सं०	देश का नाम
45	इंडोनेशिया	70	मारिशस
46	ईरान	71	मैक्सिको
47	ईराक	72	मोरक्को
48	आयरलैण्ड	73	नेपाल
49	ईजराइल	74	नीदरलैण्ड्स
50	इटली	75	न्यूजीलैण्ड
51	आइवोरी कोस्ट	76	नियारगुआ
52	*जमैका	77	निगार
53	जापान	78	नाइजीरिया
54	जोडन	79	नार्वे
55	कीनिया	80	*ओमन
56	खमेर गणराज्य	81	पाकिस्तान
57	कोरिया गणराज्य	82	पनामा
58	कुवैत	83	पराग्वै
59	लाओस	84	पीरू,
60	लेबनान	85	फिलीपीन
61	लेसोथो	86	पुर्तगाल
62	साइबीरिया	86क	ओटर
63	लीबिया अरब गणराज्य	86ख	रूमानिया
64	लक्समबर्ग	87	रवान्दा
65	मालागासी गणराज्य	88	दक्षिणी अरब
66	मलावी	89	सेनगेल
67	मलयेशिया	90	सिएरा लेओन
68	माली	91	*सिंगापुर
69	मारितेनिया	92	सोमलिया

* अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य नहीं हैं ।

क्रम सं०	देश का नाम	क्रम सं०	देश का नाम
93	दक्षिणी अफ्रीका	105	उगंडा
94	स्पेन	105 क	संयुक्त अरब इमिरेट्स
95	सूडान	106	यू० के०
96	स्वाजीलैण्ड	107	संयुक्त राज्य अमरीका
97	स्वीडन	108	अपर बोल्टा
98	सीरिया अरब गणराज्य	109	*उरुग्वे
99	तंजानिया	110	*वेनेजुएला
100	थाइलैण्ड	111	वियतनाम
101	टोंगो	111क	पश्चिमी सेमाएं
102	÷टिनिडाडा और टोबेगो	112	यमन अरब गणराज्य
		113	यमन, जनवादी और प्रजातंत्र गणराज्य
103	ट्यूनिशिया	114	यूगोस्लाविया
104	तुर्की	115	जयरे
		116	जाम्बिया

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदस्य नहीं हैं।

अनुबंध 3

प्रपत्र रिपोर्ट—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट संख्या के अन्तर्गत प्रत्येक आयात लाइसेंस के लिए एक प्रत्येक माह की पहली तारीख के अनुसार रिपोर्ट

1. आयात लाइसेंस संख्या, दिनांक और मूल्य ।

2. **आदेश देने की स्थिति:—**

   (क) अब तक दिये गये आदेशों का कुल मूल्य (रुपये में)

   (ख) अभी दिये जाने वाले आदेश का शेष मूल्य (रुपये में)

   (ग) शेष आदेशों की स्थिति— ये कब पूरे होंगे इसका संकेत कीजिये तथा इसकी पुष्टि कीजिये कि ये आयात लाइसेंस की तारीख से चार माह के भीतर पूरे कर लिये जायेंगे ।

3. **भुगतान की स्थिति:—**

   (क) अब तक किए गए भुगतान का कुल मूल्य : धनराशि

   (1) 14—2—1975 से पहले किए गए भुगतान — विदेशी मुद्रा में

   (2) 14—2—1975 को या इसके बाद किये गये भुगतान
   14—2—75 से 30—4—75
   मई, 1975

जून, 1975
जुलाई, 1975
अगस्त, 1975
सितम्बर, 1975
अक्तूबर, 1975
नवम्बर, 1975 आदि ।

(बैंक से जांच करने के बाद इसकी पुष्टि कर लीजिए कि उनके द्वारा सभी मामलों में इस विभाग को उनके लिये प्रलेख प्रस्तुत कर दिए गए हैं)।

(ख) अभी तक किए जाने वाले भुगतान का शेष मूल्य (रुपये में)

(1) मई, 1975 के दौरान
(2) जून, 1975 के दौरान
(3) जुलाई, 1975 के दौरान
(4) अगस्त, 1975 के दौरान
(5) सितम्बर, 1975 के दौरान
(6) अक्तूबर, 1975 से नवम्बर, 1975 तक के दौरान
(7) नवम्बर, 1975 के दौरान
(8) दिसम्बर, 1975 के दौरान
(9) जनवरी, 1976 से मार्च, 1976 के दौरान

(इस बात की पुष्टि कर लीजिए कि भुगतान 31-5-1976 तक पूरे कर लिए जायेंगे)

4. टिप्पणी, यदि कोई हो, और यह भी विशेषकर लाइसेंस को पूरा उपयोग किये जाने के संबंध में अनुभूत विशेष कठिनाई जैसे-31-5-1976 तक किये जान वाले भुगतानों के संबंध में ।

हस्ताक्षरित :
आयातक की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि

अनुबंध 4

[पारा 5, 5 (6) और 6 के लिये उल्लिखित]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के अन्तर्गत भेजे जाने वाले प्रलेखों के लिए प्रपत्र

(दसवीं औद्योगिक आयात-परियोजना)

क्रम संख्या	माल की अनुमेय श्रेणी	आयात लाइसेंस संख्या तथा दिनांक	बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रेषण की तारीख	जिस मुद्रा में भुगतान किया जाता है उसका नाम तथा विदेशी मुद्रा की धनराशि
1	2	3	4	5

अनुबन्ध 5

(पारा 5 और 6 के लिये उल्लिखित)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ क्रेडिट के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के संबंध म अपेक्षित प्रलेख

(क) माल या सेवाओं का ब्यौरा देते हुये संभरक का बीजक (मूल या सुपाठ्य प्रति)

(ख) निम्नलिखित रूप में भुगतान साक्ष्य:—

1. प्राप्त किया गया बीजक या विदेशी संभरक की औपचारिक रसीद, या
2. रद्द किया हुआ बैंक चैक या ड्राफ्ट या उनकी फोटो स्टेट प्रति, या
3. भुगतान आई ० डी ० ए ० प्रपत्र 1.1 (प्रति संलग्न है)की वाणिज्यिक बैंक की रिपोर्ट, या
4. आई ० डी ० ए ० की संतुष्टि के लिये अन्य साक्ष्य ।

(ग) निम्नलिखित रूप में पोतलदान का साक्ष्य:—

1. समुद्री या वायु लदान पत्र की एक प्रति (यह एक हस्ताक्षरित प्रति नहीं होनी चाहिये) या
2. संभरक या अग्रसारित करने वाले का एक विवरण पत्र कि माल का पोतलदान हो चुका है। इस विवरण पत्र में पोतलदान की अनुमानित तिथि, माल भेजने की विधि (जैसे वायु, रेल या समुद्र मार्ग) और जहाज/वायुयान का नाम तथा पोत का ध्वज या वायुयान (यदि मालूम हो) के ब्यौरे शामिल होने चाहिएं और उसमें समुद्री/वायुमार्ग भाड़े की धनराशि दी जानी चाहिये ।

नोट 1.—यदि आवेदन पत्र देते समय पोतलदान नहीं किया गया है या आवेदन पत्र तत्क्षण प्रगमन भुगातन से संबंध रखता है तो पोतलदान के तुरन्त बाद ही आई ० डी ० ए ० को पोतलदान साक्ष्य भेजा जाना चाहिये । यदि आवेदन पत्र तत्क्षण या प्रगमन भुगातन से संबंध रखता है तो संभरक के अन्तिम बीजक की एक प्रति पोतलदान के इस साक्ष्य के साथ लगाई जानी चाहिये ।

नोट 2.—जब वाणिज्यिक साख पत्रों का उपयोग किया जा रहा है और यदि बैंक की रिपोर्ट यह संकेत करे कि जब भुगतान किया गया था तब वाणिज्यिक बैंक को पोतलदान को सांक्ष्याकित करने के लिये प्रलेख प्रस्तुत किये गये थे तो पोतलदान के साक्ष्य की जरूरत नहीं है, अन्यथा उपर्युक्त (ग) (1)या(2) में यथा वर्णित पोतलदान का साक्ष्य देना आवश्यक होगा ।

नोट 3.—कृपया इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लें कि उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत (।) से (3) तक (ग) के अन्तर्गत (।) से (2) तक की मदें विभिन्न विकल्पों की हैं और जो जरूरत है वह उनमें से किसी एक की है न कि सभी की ।

(घ) यदि निकासी, कर्जदार को चुकाई जाती है तो तत्क्षण या प्रगमन भुगतान के लिये संविदा या क्रय आदेश की एक प्रति की आवश्यकता है । वास्तव में इस प्रलेख को केवल एक बार ही प्रस्तुत करने की जरूरत है। यदि निष्पादित कार्य के आधार

पर संविदा के संबंध में भुगतान कर दिया गया है तो संविदा की एक प्रति के अतिरिक्त कर्जदार को चाहिये कि वह एक अभियन्ता का प्रमाण पत्र यह प्रदर्शित करते हुये कि भुगतान बाकी था एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

(ङ) आई ० डी ० ए ० द्वारा यथा प्रमाणित माल की सूची की अनुमेय श्रेणी के संबंध में सूचना अनुबंध–1 देखिए ।

नोट 4.—उपर्युक्त (ङ) की जरूरतों का मतलब है कि आयातक खुद या उसके बैंक को चाहिये कि जब वित्त मंत्रालय (अर्थकार्य विभाग) को प्रलेख अग्रसारित कर रहें हों तो माल की उस अनुमोदित सूची की अनुमेय श्रेणी का संकेत करे जिसके अन्तर्गत आयात किया गया है । माल की यह सूची अनुबंध–1 में संकेतित है और लाइसेंस प्रत्येक मामले खुद ही अनुमेय श्रेणी को संकेत करेगा । यदि ऐसा नहीं होता है तो आयातित माल की ब्यौरा माल की अनुमेय श्रेणी में से, एक के अन्तर्गत मद को संकेतित करने में समर्थ होगा । किसी भी मामले में, यह आयातक का काम है कि वह इस सूचना को भेजे तथा वह या उसके बैंक को संभरक से साख-पत्र के अन्तर्गत सौदा करने बैंक को प्रस्तुत किये जाने वाले उसके प्रलेखों में इस प्रकार की सूचना को संकेतित किये जाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इसलिये आयातकों को यह ध्यानपूर्वक नोट कर लेना चाहिये कि उनके आदेश या साख पत्र में इस प्रकार की जरूरत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

बैंक की भुगतान रिपोर्ट क्रम संख्या : .....

.....

(वाणिज्यिक बैंक का नाम)

भुगतान की तारीख .....

लाइसेंस संख्या .....

सेवा में,

.....

(कर्जदार या कर्जदार के प्रतिनिधि का नाम)

.....

.....

(पता)

.....

(क्रेता का नाम और पता)

के द्वारा स्थापित लाइसेंस संख्या : .....

के अन्तर्गत ..... को

(संभरक का नाम)

.....का भुगतान कर हम सूचित हैं ।

हमारे भुगतान की कमीशन धनराशि .....है ।

विशिष्टिकृत किये गये के अनुसार प्रलेखों के वितरण के मद् भुगतान प्रभाजित हुआ था और ऊपर उल्लिखित साख-पत्र की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित पोतलदान साक्ष्य .....

.....

(सौदे का सामान्य ब्यौरा जिसमें

.....से.....को.....

(पोतलदान के विचार से) (स्थान) (यात्रा आदि)

प्रति एस०एस० .....या आर०आर० .....या

.....पर उल्लिखित माल संचयन माल या उत्पादन शामिल है)

निम्नलिखित के अनुसार प्रलेख निपटाये गये हैं:—

समुद्र मार्ग संबंधी प्रलेख ऊपर उल्लिखित अपने संबंधित बैंक को अग्रसारित किये गये हैं।

लदान का रेलवे रोड बिल, निर्माण के प्रमाण-पत्र की गोदान रसीद .....

..... को भेजा गया है।

(दिया गया विवरण)

.....

(संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है)

आप का निवासी,

अनुबन्ध 6

(लाइसेंस शर्तों के पैरा 6 के लिए उल्लिखित)

दिनांक .....

विनिमय की दर 1 डालर=7.279 रुपये पर अनुमानित भुगतान त्रैमासिक (यू० एस० डालर के हजार में व्यक्त) की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की रिपोर्ट।

क्रम संख्या	माल की श्रेणी	आयात लाइसेंस संख्या और दिनांक	आयात लाइसेंस का कुल मूल्य	14-2-75 को बाकी रहने वाला आयात लाइसेंस का मूल्य	भुगतान की मुद्रा	संभरण किए जाने वाला देश
1	2	3	4	5	6	7

अन्त होने वाली त्रैमासिक अवधि का पंचांग

जून 1975	सितम्बर 1975	दिसम्बर 1975	मार्च 1976	मार्च, 1976 के बाद और 30-6-76 से पूर्व
8	9	10	11	12

नोट.—1. उस त्रैमासिक के अन्त तक उपयोग करने का मूल्य जिससे रिपोर्ट सम्बन्ध रखती है वे वास्तविक होने चाहिए और शेष अनुमानित भुगतानों को भेजा जाना चाहिए ।

2. कालम 8 से 13 आंकड़ों को विदेशी संभरक (भारतीय रुपये में भुगतान किए जाने योग्य अभिकर्ता कमीशन शामिल नहीं है) को भुगतान किए जाने योग्य केवल विदेशी मुद्रा का ही संकेत करना चाहिए ।

अनुबन्ध 7

भारत पाकिस्तान सम्मेलनों (यू० के० में—भारत/पाकिस्तान पूर्व सीमा सम्मेलन और महाद्वीप / भारत पाकिस्तान पूर्व सीमा सम्मेलन) की सदस्य लाइनों के उनकी राष्ट्रीयता सहित ब्यौरे ।

1. यू० के०/भारत-पाकिस्तान पूर्व सीमा सम्मेलन

1. ऐनकर लाइन लि०	यू० के०
2. ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन कं० लि०	
3. चिब्बी लाइन लि०	
4. टामस एण्ड जनी ब्रोकल बैंक ऐनकर के स्वामी (कलकत्ता सर्विस)	
5. ब्रोकल बैंक एण्ड ब्रोकल बैंकर्स वैल लाइन्स	
6. दि सिटी लाइन लि०	
7. दि थलेन लाइन स्टीमर्स लि०	
8. पेनिन्सुलर एण्ड ओरियंटल स्टीम नेविगेशन क० लि०	
9. हाल लाइन लि०	
10. एलरमेनन्स विल्सन लाइन लि०	भारत
11. इण्डिया स्टीम शिप कं० लि०	
12. सिंधिया स्टीम नेविगेशन कं० लि०	
13. दि शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	
14. नेशनल शिपिंग कारपोरेशन आफ करांची	पाकिस्तान
15. पाकिस्तान शिपिंग लाइन लि०	

16. बांगला देश शिपिंग कारपोरेशन	बांगला देश

2. महाद्वीप/भारत पाकिस्तान पूर्व सीमा सम्मेलन

1. ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन क० लि०	यू० के०
2. ब्रोकल ब्रैकर्स वैल लाइन	
3. दि क्लैन लाइन स्टीमर्स लि०	
4. कम्पनी मेरिटाइम बेलवी (लोयडरोयल) एस० ए०	बेल्जियम
5. ए/ एस /डैट ओक्टा सियाटिस्को कोम्पानी (ईस्ट ए शियेटिक कं० लि०)	स्वीडन
6. ड्यूटशे डम्फशिफाहट्स —गेसलशेफ्ट (जर्मनी गणतन्त्र संघ) "हान्सा"	
7. हाल लाइन	यू० के०
8. कोर्निकलिजको नेडलायड एन० वी०	डेन्मार्क
9. साई देस मेसन्जरोज मेरिटाइन्स	फ्रांस
10. इण्डिया स्टीम शिप कं० लि०	भारत
11. सिंधिया स्टीम नेविगेशन कं० लि०	भारत
12. दि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	
13. नेशनल शिपिंग कारपोरेशन आफ कराची	पाकिस्तान
14. पाकिस्तान शिपिंग लाइन लि०	
15. पेनिन्सुलर एण्ड ओरियंटल स्टीम नेविगेशन कं० लि०	यू० के०
16. ए/बी स्वेन्सका ओस्टिाशिया टिस्का कोम्पनोट (स्वीडिश ईस्ट एशिया कं० लि०)	स्वीडन
17. विल्ह् विल्हेल्मसेन	नार्वे
18. वी० ई० वी० ड्यूस्को शीरीडरी	पूर्वी जर्मनी
19. बांगला देश शिपिंग कारपोरेशन	बांगा

वी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975